

अपर मुख्य सचिव महोदय, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-33/2026/1553/छिहत्तर-01-2026 (CN2075542), दिनांक 21.07.2026 के अनुपालन में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक दिनांक 03.08.2026 का कार्यवृत्त।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 03.08.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) की बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे।

S.No	Name	Designation	Department
1	श्री पी०के० पाण्डेय	प्रभागीय निदेशक	वन विभाग
2	डा० पंकज राय	मुख्य चिकित्साधिकारी	चिकित्सा
3	श्री सुभाष चन्द्र सराज	जिला विकास अधिकारी	विकास
4	श्री संजय मैत्रे	अधिकासी अभियन्ता	सिंचाई
5	श्री अरुण बाबू गुप्ता	अधिकासी अभियन्ता	नलकूप
6	श्री सुभाष चन्द्र सराज	परियोजना निदेशक	डी०आर०डी०ए०
7	श्री सतीश उपाध्याय	बेसिक शिक्षा अधिकारी	शिक्षा
8	श्री सोमप्रकाश गुप्ता	जिला कृषि अधिकारी	कृषि
9	श्री धनपाल सिंह	जिला सूचना अधिकारी	सूचना
10	श्री रामेश्वर दयाल	अधिकासी अभियन्ता	जल निगम (ग्रामीण)

बैठक के दौरान JJM District Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आकड़ा पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गयी जो निम्नवत है।

Table No.1 : जल निगम के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गयी। अधिकासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम के अन्तर्गत तीन योजनायें निर्माणाधीन है। तीनों योजनाओं की वर्तमान प्रगति निम्न है—

मसीना— परियोजना 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है। सितम्बर 2026 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

प्यारेपुर सलामुद्दीनपुर— इस परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। एक सप्ताह में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जायेगी। दिसम्बर 2026 तक परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

सरवां (परदहों)— इस योजना की डीपीआर 2013 में स्वीकृत हुयी थी। 2015 में टेन्डर खुलने के बाद वेन्डर ने काम करने से मना कर दिया था। पुनः टेन्डर डालने पर 2019-20 में मेसर्स ताहिर कन्स्ट्रक्शन की निविदा प्राप्त हुई। दो पम्प हाउस का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत तथा पाईप लाईन का कार्य 24 कि०मी० के सापेक्ष 05 कि०मी० करने के पश्चात कार्य न करने के कारण अनुबन्ध निरस्त कर जमानत राशि जब्त कर ली गयी। पुरानी दर पर कार्य करने हेतु कोई तैयार नही हो रहा है। दो बार टेन्डर आमंत्रित करने के बावजूद कोई टेन्डर नही डाला गया। तीसरी बार टेन्डर आमंत्रित किये गये है, जो दिनांक 06.08.2026 को खुलेगा।

अधिकासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया गया कि निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं को शीघ्रता एवं गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करते हुये शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।

Table No.1 A : संचालन एवं अनुरक्षण के अन्तर्गत जल निगम की 53 परियोजनायें हैं जिसमें 124 राजस्व ग्राम आच्छादित हैं। 124 में से 55 राजस्व ग्राम में शत-प्रतिशत जल आपूर्ति हो रही है। 67 राजस्व ग्राम में आंशिक रूप से पेयजल की आपूर्ति हो पा रही है। 02 राजस्व ग्राम में बोरिंग फेल हो जाने एवं पाईप फट जाने के कारण पेयजल की आपूर्ति बाधित है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया गया कि निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं को शीघ्रता एवं गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करते हुये शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। दिसम्बर 2026 तक समस्त ग्रामों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति किये जाने के निर्देश दिये गये।

Table No.1 B : अधिशासी अभियन्ता/सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि रेट्रोफिट में कुल 17 परियोजनायें हैं, जिसमें 47 राजस्व ग्राम आच्छादित हैं। 17 में से कुर्थीजाफरपुर व बेलचौरा 02 परियोजनायें नगरीय निकाय में समाहित हो गयी हैं। सभी परियोजनायें पूर्ण हैं। अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया गया कि निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं को शीघ्रता एवं गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करते हुये शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।

Table No.2: अधिशासी अभियन्ता/सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मऊ में फेज-2 के अन्तर्गत मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा 2021-2022 से तथा फेज-5 के अन्तर्गत जी.ए. विश्वनाथ व मेसर्स के.एल.एस.आर कार्य कर रही है। तीनों कार्यदायी संस्थाओं की फेज वाईज समीक्षा की गयी, जिसका विवरण निम्न है-

मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा- फेज-2 के अन्तर्गत कुल 219 परियोजनाओं में 488 राजस्व ग्राम के अन्तर्गत कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें से 232 राजस्व ग्रामों में रेगुलर वाटर सप्लाई दी जा रही है। 93 राजस्व ग्रामों में शत-प्रतिशत तथा 93 राजस्व ग्रामों में 90 से 99 प्रतिशत के मध्य कार्य पूर्ण है तथा 46 राजस्व ग्रामों का कार्य 99 प्रतिशत से नीचे है। ट्रायल एवं रन के अन्तर्गत 14 परियोजनाओं तथा 45 राजस्व ग्रामों में कार्य चल रहा है। 225 शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष मात्र 104 पूर्ण किये गये हैं, जबकि संस्था फेज-2 में 2021 से कार्य कर रही है। टीपीआई द्वारा अवगत कराया गया कि 70 शिरोपरि जलाशय पर कार्य करने हेतु अभी तक आरएफआई उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि 70 शिरोपरि जलाशय पर कार्य ही प्रारम्भ नहीं किया गया है। वर्षों से ग्राउन्ड लेवल पर शिरोपरि जलाशय का काम बन्द पड़ा हुआ है। यह भी बताया गया कि वर्षों से काम बन्द पड़ा होने के कारण ग्राउण्ड लेवल पर पड़ी हुयी सरिया में जंग लग गये हैं। कई परियोजनाओं में वर्षों से खुला होने के कारण प्लिंथ लेवल से सरिया काट ली गयी है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की गाईड लाईन के अनुसार इस प्रकार के निर्माण को आईआईटी के टीम द्वारा निरीक्षण कराने के बाद कार्य नये सिरे से प्रारम्भ किया जाय। पेयजल परियोजनाओं के निर्माण एवं गुणवत्ता के प्रकरण में संस्था की घोर लापरवाही एवं उदासीनता परिलक्षित हो रही है। टीपीआई के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि संस्था के पास वर्षों से मैन पावर नगण्य होने के कारण परियोजनाओं के कार्य वर्षों से बन्द पड़े हुये हैं। मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा को निर्देशित किया गया कि परियोजनाओं के निर्माण कार्य आरएफआई डालने के पश्चात प्रारम्भ किया जाय।

निर्देशित किया जाता है कि रेगुलर वाटर सप्लाई से सम्बन्धित 90 से 99 प्रतिशत के मध्य की परियोजना को 31 अगस्त तथा 80-90 प्रतिशत के मध्य की परियोजनाओं को 30 सितम्बर तक पूर्ण किया जाय। ट्रायल एवं रन से सम्बन्धित परियोजनाओं को 31 अगस्त 2026 तक पूर्ण किया जाय। यह भी निर्देशित किया गया कि ग्राउण्ड लेवल पर वर्षों से परियोजनाओं का निर्माण कार्य बन्द होने के कारण जंग लगी हुयी सरिया तथा प्लिंथ लेवल से काट ली गयी सरिया वाली समस्त परियोजनाओं को

आईआईटी टीम से निरीक्षण कराने के पश्चात आख्या के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाय। गुणवत्ता खराब होने पर Remove करते हुए निर्माण सुनिश्चित किया जाय। 900 मैन पावर के सापेक्ष मात्र 200 मैन पावर कार्य स्थल पर लगायी गयी है तत्काल अपेक्षित मैन पावर सुनिश्चित करते हुये बन्द पड़ी हुयी समस्त परियोजनाओं पर अगस्त में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय।

मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ—फेज 5 में 200 परियोजनाओं पर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें 521 राजस्व ग्राम आच्छादित हैं। जिसमें 316 राजस्व ग्रामों में रेगुलर वाटर सप्लाई हो रही है। 316 में 108 राजस्व ग्राम 100 प्रतिशत पूर्ण है। 131 राजस्व ग्रामों में 90 प्रतिशत से 99 प्रतिशत कार्य पूर्ण है। 77 राजस्व ग्रामों में 90 प्रतिशत से कम कार्य हुआ है। 27 परियोजनाओं के 83 राजस्व ग्राम ट्रायल एवं रन में है। संस्था को कुल 199 शिरोपरि जलाशय बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से 170 पूर्ण हो चुके हैं। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि शिरोपरि जलाशय के निर्माण में अन्य संस्थाओं के सापेक्ष इन्फ्रा कार्य अच्छा है।

निर्देशित किया जाता है कि रेगुलर वाटर सप्लाई वाले 90 से 99 प्रतिशत वाले ग्रामों का कार्य 31 अगस्त तक तथा 80 से 90 प्रतिशत के मध्य वाली परियोजनाओं का कार्य 30 सितम्बर तक पूर्ण कर लिया जाय। ट्रायल एवं रन के अन्तर्गत सभी ग्रामों का कार्य 31 अगस्त 2026 तक पूर्ण कर लिया जाय। शिरोपरि जलाशय के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखते हुये अवशेष समस्त शिरोपरि जलाशय का निर्माण पूर्ण कर लिया जाय।

मेसर्स के.एल.एस.आर— फेज 5 के अन्तर्गत 113 परियोजनाओं पर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें कुल 319 राजस्व ग्राम आच्छादित हैं। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि संस्था का कार्य अत्यन्त खराब है। रेगुलर वाटर सप्लाई मात्र 48 राजस्व ग्रामों में हो रही है, जिसमें मात्र 06 राजस्व ग्राम का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण है। 20 राजस्व ग्रामों का कार्य 90 प्रतिशत से 99 प्रतिशत के मध्य है तथा 22 राजस्व ग्राम का कार्य 90 प्रतिशत से भी कम है। ट्रायल एवं रन के अन्तर्गत 14 परियोजनायें तथा 36 राजस्व ग्राम हैं। यह सख्या अत्यन्त कम है। संस्था की लापरवाही एवं शिथिलता परिलक्षित हो रही है। शिरोपरि जलाशय के निर्माण में संस्था द्वारा 113 के सापेक्ष मात्र 12 शिरोपरि जलाशय का निर्माण किया गया है। 2022-23 से कार्य आरम्भ होने के बावजूद मात्र 12 शिरोपरि जलाशय का निर्माण असंतोषजनक ही नहीं अपितु घोर निन्दनीय है। टीपीआई द्वारा बताया गया कि विगत एक वर्ष से संस्था के पास स्टाफ एवं मैन पावर नहीं है, जिसके कारण इनसे सम्बन्धित समस्त परियोजनाओं का कार्य बन्द पड़ा हुआ है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था लापरवाही एवं उदासीनता को देखते हुये दो वर्ष पूर्व 05 प्रतिशत का अर्थ दण्ड भी आरोपित किया जा चुका है तथा इनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी महोदय के स्तर से भी रिपोर्टप्रेषित की जा चुकी है। शिरोपरि जलाशय का कार्य एक वर्ष से अधिक अवधि से बन्द होने के कारण सरिया में जंग लग चुके हैं। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की गाईड लाईन के अनुसार ऐसी परियोजनाओं पर पुनः कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व आईआईटी टीम द्वारा पर्यवेक्षण कराने के पश्चात रिपोर्ट के दृष्टिगत निर्माण पूर्ण किया जाय।

अतः निर्देशित किया जाता है कि रेगुलर वाटर सप्लाई से सम्बन्धित 90 प्रतिशत से 99 प्रतिशत के मध्य प्रगति वाले ग्रामों का कार्य 31 अगस्त तक तथा 80 से 90 प्रतिशत के मध्य प्रगति वाले ग्रामों का कार्य 30 सितम्बर तक पूर्ण कर लिया जाय। ट्रायल एवं रन के अन्तर्गत जो परियोजनायें हैं उन समस्त परियोजनाओं का कार्य 31 अगस्त तक पूर्ण किया जाय। शिरोपरि जलाशय के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखते हुये अवशेष

समस्त शिरोपरि जलाशय का निर्माण पूर्ण कर लिया जाय। मैन पावर एवं संसाधन में वृद्धि करके 31 दिसम्बर 2026 तक परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया जाय।

Table No.2 A: अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मऊ में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत कुल 159 परियोजनायें हैं। मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा की 77 परियोजनायें हैं, जिसमें मात्र 22 परियोजनायें पूर्ण हो पायी हैं। बताया गया कि अवशेष 55 परियोजनाओं को दिसम्बर 2026 तक पूर्ण करने का माईकोप्लान प्राप्त हो चुका है। मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ की 60 परियोजनायें हैं, जिसमें से 41 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं। अवशेष 19 परियोजनाओं को दिसम्बर 2026 तक पूर्ण करने का माईकोप्लान प्राप्त हो चुका है। मेसर्स के.एल.एस.आर की 22 योजनायें हैं, परन्तु एक भी परियोजना पूर्ण नहीं है। सभी 22 परियोजनाओं को दिसम्बर 2026 तक पूर्ण करने का माईकोप्लान प्राप्त हो चुका है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि दिये गये माईकोप्लान के अनुसार अवशेष समस्त योजनाओं को प्रत्येक दशा में दिसम्बर 2026 तक पूर्ण कर लिया जाय।

Table No.3: अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि रेगुलर वाटर सप्लाई में कोई व्यवधान नहीं है। कभी कोई समस्या संज्ञान में आती है तो तत्काल निराकरण करा लिया जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। अकस्मात किसी व्यवधान के उत्पन्न होने पर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इन्जीनियर्स एवं कार्यदायी संस्था से सामंजस्य बनाकर व्यवधान का निराकरण करा लिया जाय।

Table No.4: अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत कुल 1328 राजस्व ग्राम के सापेक्ष 223 राजस्व ग्राम जल प्रमाणित (सर्टिफाईड) घोषित हो चुके हैं। मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा के 124 राजस्व ग्राम, मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ के 83 राजस्व ग्राम तथा मेसर्स के.एल.एस.आर के मात्र 16 राजस्व ग्राम सर्टिफाईड की श्रेणी में घोषित हो चुके हैं। जल 103 परियोजनाओं का जल अर्पण हो चुका है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जल अर्पण पूरी परियोजना का किया जाता है, जबकि राजस्व ग्राम सर्टिफाईड घोषित होते हैं। कुल राजस्व ग्राम 1328 के सापेक्ष सर्टिफाईड होने वाले 223 राजस्व ग्रामों की संख्या कम है। रोड रेस्टोरेशन के सम्बन्ध में शत-प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन होना बताया गया, जबकि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों से पता चलता है कि रोड रेस्टोरेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता विभागीय सहायक अभियन्ताओं एवं जूनियर इन्जीनियर्स के सहयोग से कार्यदायी संस्थाओं को प्रेरित कर सर्टिफाईड ग्राम एवं जल अर्पण की प्रगति में वृद्धि करना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि बारिश का मौसम होने के कारण रोड रेस्टोरेशन की शिकायतों पर विशेष ध्यान देते हुये शत-प्रतिशत सार्वजनिक मार्गों को व्यवस्थित कर लिया जाय।

Table No.4A: अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि जनपद मऊ में RPWSS(रेगुलर पाईप वाटर सप्लाई स्कीम) के अन्तर्गत समस्त राजस्व ग्रामों की आईडी क्रियेट की जा चुकी है। मात्र 05 ग्राम पंचायत बेलचौरा, बडागांव, कुर्थीजाफरपुर, परसपुरा नगरीय क्षेत्र में है तथा दरगाह का एलजीडी कोड मैप न होने के कारण पोर्टल पर अवशेष प्रदर्शित हो रहे हैं। इन 05 ग्राम पंचायतों में 07 राजस्व ग्राम समाहित हैं। कोई ग्राम अवशेष नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अवशेष प्रदर्शित होने वाले ग्रामों के निराकरण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से पत्राचार कर निराकरण करा लिया जाय।

Table No.5: कम्पोनेन्ट वाईज फिजिकल प्रोग्रेस के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजनाओं के प्रत्येक घटक के लक्ष्य को पूर्ण किये जाने हेतु सतत प्रयास किया जा रहा है। ट्यूबवेल की प्रगति 96.61 प्रतिशत, पम्प हाउस 96.70 प्रतिशत, क्लोरिनीकरण— 46.61 प्रतिशत, ओवर हेड टैंक 53.63 प्रतिशत, पाईप लाइन 94.77 प्रतिशत, घरेलू नल कनेक्शन 94.46 प्रतिशत, सड़क मरम्मत 99.26 प्रतिशत, कमीशनिंग 52.27 प्रतिशत, नियमित जलापूर्ति 48.11 प्रतिशत पायी गयी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जिस कम्पोनेन्ट (घटक) की भौतिक प्रगति बहुत कम प्रदर्शित हो रही है उस पर विशेष ध्यान देते हुये प्रगति बढ़ा ली जाय।

Table No.6: यूनिफाईड कमान्ड एवं कन्ट्रोल सिस्टम – आटोमेशन के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा के 219 परियोजनाओं में 80 में आटोमेशन लगाया गया है, जिसमें 74 लाईव प्रदर्शित हो रहे हैं। मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ का 200 परियोजनाओं में से 74 आटोमेशन लगाये गये है, जिसमें 33 लाईव प्रदर्शित हो रहे हैं। इसी प्रकार मेसर्स के.एल.एस.आर के 113 परियोजनाओं में 12 आटोमेशन लगाये गये है, जिसमें 06 लाईव प्रदर्शित हो रहे हैं। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि आटोमेशन से आच्छादित परियोजनाओं को कोई भी लाईव देख सकता है। लखनऊ मुख्यालय से भी इन परियोजनाओं को लाईव देखा जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अधिक से अधिक परियोजनाओं को आटोमेशन से आच्छादित किया जाय।

Table No.7: अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) से सम्बन्धित कुल 943 शिकायतें प्राप्त हुयी है, जिसमें 923 का निराकरण किया जा चुका है। 20 शिकायतें अभी पोर्टल पर अवशेष के रूप में प्रदर्शित हो रही है। 03 शिकायतें मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ, 15 शिकायतें मेसर्स के.एल.एस.आर एवं 02 शिकायतें मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा के पास लम्बित है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि अवशेष शिकायतें समय सीमा के अन्तर्गत है, जिसका समय से निस्तारण करा लिया जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण पर विशेष ध्यान देते हुये समय से निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। मेसर्स के.एल.एस.आर के पास सर्वाधिक शिकायतें लम्बित होने के कारण अधिशासी अभियन्ता के स्तर से चेतावनी जारी की जाय।

Table No.8: आर्सेनिक/क्लोराईड/जर्ई/ईएस से प्रभावी क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि ग्राम बेलौझा रतनपुरा ब्लाक, अतरारी मोहम्मदाबाद गोहना, सरंवा (परदहों), ब्लाक— परदहा, प्यारेपुर सलाउद्दीनपुर, कोपागंज ब्लाक इन 04 ग्रामों में फ्लोराइड युक्त जल की शिकायतें पायी गयी हैं। इसी प्रकार ग्राम पड़री ब्लाक रानीपुर में जर्ई/ईएस से सम्बन्धित दूषित पानी पाया गया। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि शीघ्र पानी की टंकी से क्लोरिन युक्त शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कर समस्या का निराकरण कर लिया जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि पाईप लाइन से क्लोरिन युक्त शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।

Table No.9: वाटर क्वालिटी के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक योजना पर क्लोरिनेशन प्लान्ट लगाने की व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से पंजीकृत महिलाओं द्वारा पानी की जाँच की जा रही है। जल निगम परिसर में जल गुणवत्ता की जाँच किये जाने हेतु प्रयोगशाला स्थापित है, जिसमें स्कूल, ऑगनबाडी तथा उपभोक्ताओं के यहाँ से पानी का सैम्पल मगोंकर नियमित जाँच की जा रही है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि ग्रामीण परिवारों को दूषित जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक किया जाय एवं पाईप लाइन से आपूर्ति होने वाले क्लोरिनयुक्त पानी के उपयोग पर बल दिया जाय एवं निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं को शीघ्र एवं गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण कराने का प्रयास किया जाय।

Table No.10: स्वचालन एकीकृत योजनाओं के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि पूर्ण होने वाली परियोजनाओं पर लाईव मॉनिटरिंग के लिये स्काडा आटोमेशन इन्टीग्रेटेड स्कीम्स लगाये गये हैं। उच्चाधिकारियों द्वारा सम्बन्धित परियोजना का पर्यवेक्षण एवं अवलोकन भी किया जा रहा है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि पूर्ण होने वाली समस्त पेयजल परियोजनाओं पर स्काडा आटोमेशन इन्टीग्रेटेड स्कीम्स को अवश्य स्थापित किया जाय जो कार्यरत एवं निरन्तर कियाशील रहे तथा अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा निरन्तर पर्यवेक्षण भी किया जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं के निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्वक शीघ्र पूरा किये जाने के निर्देश दिये गये तथा नियमित पेयजल आपूर्ति की निरन्तरता कायम रखने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण एवं कार्यदायी संस्थाओं को सतत प्रयासरत रहने हेतु निर्देशित किया गया।



Digitally signed by
RAMESHWAR DAYAL
Date: 07-08-2026
17:33:15

अधिशासी अभियन्ता
जल निगम (ग्रामीण),
मऊ

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Digitally signed by
VIVEK KUMAR SRIVASTAV
Date: 10-08-2026
13:20:14

मुख्य विकास अधिकारी
मऊ